BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 30 अक्टूबर, 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड करने के 01 आरोपी को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त जमाल पुत्र अलीज निवासी खण्डवाया थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2017 में एक नाबालिग के साथ छेडछाड करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 17.02.2016 को थाना शिकारपुर पर मुअसं- 71/2016 धारा-354क,504 भादवि व 08 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 19.03.2016 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप **दिनांक 30.10.2025 को न्यायाधीश श्री योगेश कुमार द्वितीय (मा0 न्यायालय पोक्सो-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त जमाल को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री धर्मेन्द्र राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक श्री यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 जितेन्द्र कुमार व कोर्ट महोर्रिर है0का0 कपिल राणा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।